केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

चतुर्थ तल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36 जनपथ, नई दिल्ली –110 001
फोनः 23353503, फैक्सः 23753923

याचिका सं.181/टीएल/2023 दिनांकः 14.11.2023

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप–धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस

पावरग्रिड बीकानेर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड, बी–9, कुतब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली 110 016 द्वारा विनियमित टैरिफ तंत्र मोड (इसके पश्चात् 'पारेषण योजना/परियोजना' के रूप में संदर्भित) पर 400/220 केवी, 1 X 500 एमवीए आईसीटी (तृतीय) से 400/220 केवी बीकानेर–II पीएस पर रूपांतरण क्षमता का संवर्धन और राजस्थान आरईजेड पीएच IV (भाग–1) (बीकानेर कॉम्प्लैक्स) (भाग–ई) से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली; एएलएफ सोलर अमरसर प्रा. लि. के आरई पावर पार्क के अंतर–संयोजन के लिए 400/220 केवी बीकानेर–II पीएस पर 220 केवी लाइन बे के 2 नंबर, सौर परियोजना एनएचपीसी लिमिटेड) के अंतर–संयोजन के लिए 400/220 केवी बीकानेर–II पीएस पर 220 केवी लाइन बे के 1 नंबर के कार्यान्वयन के लिए पृथक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धारा 14 के अधीन आवेदन किया गया है। जिस परियोजना के लिए पारेषण अनुज्ञप्ति मांगी गई है, उसका कार्य–क्षेत्र निम्नानुसार हैः

क्रम सं.	पारेषण योजना का कार्य–क्षेत्र	क्षमता/किमी	कार्यान्वयन समय–सीमा
1.	आरई परियोजना (एनएचपीसी लि.) के अंतरसंयोजन के लिए 400/220 केवी बीकानेर–II पीएस पर 220 केवी लाइन बे का 1 नंबर	• 220 केवी लाइन बे – 1 नंबर (नोट ए का संदर्भ लें)	सीटीयूआईएल, अर्थात् 27.2.2024 द्वारा ओएम के जारी किए जाने से 15 मास.
2.	400/220 केवी बीकानेर–II पीएस पर ट्रांसफर बस कपलर और बस कपलर के साथ 220 केवी बस सेक्शनलाईजर का कार्यान्वयन	220 केवी बस सेक्शनलाईजर बे – 1 सेट 220 केवी बस कपलर बे – 1 नंबर 220 केवी ट्रांसफर बस कपलर बे – 1 नंबर भावी बे के लिए बस कार्य (लाइन बे के 4 नंबर एवं आईसीटी बे के 3 नंबर)	
		कुल अनुमानित लागतः	रु. 29.21 करोड

नोटः

क) 220 केवी बीकानेर–II पर सेक्शन–सी में भावी लाइन बे, डेवलपर्स स्कोप (नंबर 230–231) और आईएसटीएस स्कोप (नंबर 26–227) में आरई डेवलपर्स को आबंटित किए जाने हेतु प्रस्तावित है। तदनुसार, 220 केवी बस कार्य भी उपर्युक्त स्कोप के अधीन उचित रूप से किए जा सकते हैं।

ख) एएलएफ सोलर अमरसर प्रा. लि. के आरई पावर पार्क के अंतरसंयोजन के लिए 400/220 केवी बीकानेर–II पीएस पर 220 केवी लाइन बे के 2 नंबर का कार्यान्वयन

क्रम सं.	पारेषण योजना का कार्य–क्षेत्र	क्षमता/किमी	कार्यान्वयन समय–सीमा
1.	मैसर्स एएलएफ सोलर अमरसर प्रा. लि. के आरई पावर पार्क के अंतरसंयोजन के लिए 400/220 केवी बीकानेर–II पीएस पर 220 केवी लाइन बे के 2 नंबर	• 220 केवी लाइन बे – 2 नंबर	30.06.2024
		कुल अनुमानित लागतः	रु. 11.68 करोड़

(ग) राजस्थान आरईजेड पीएच–IV (भाग–1) (बीकानेर कॉम्प्लैक्स) – भाग–ई से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणालीः

क्रम सं.	पारेषण योजना का कार्य–क्षेत्र	क्षमता/किमी	कार्यान्वयन समय–सीमा
1.	बीकानेर–II पीएस पर 5X500 एमवीए, 400/220 केवी आईसीटी के साथ संवर्धन	400/220 केवी, 500 एमवीए आईसीटी – 5 नंबर 400 केवी आईसीटी बे – 5 नंबर 220 केवी आईसीटी बे – 5 नंबर	4x500 एमवीए, 400/220 केवी आईसीटीः 31.12.2024 1x500 एमवीए, 400/220 केवी आईसीटीः 31.1.2025
		कुल अनुमानित लागतः	रु. 368 करोड़**

**इसमें अन्य बातों के साथ–साथ, बीकानेर (पीजी) एवं कोटपुतली (पीजी) सब–स्टेशनों पर पावरग्रिड द्वारा निर्मित किए जा रही 02 अन्य पारेषण आस्तियों की लागत शामिल है।

(घ) 400/220 केवी, 1x500 एमवीए आईसीटी (तृतीय) द्वारा 400/220 केवी बीकानेर–II पीएस पर रूपांतरण क्षमता का संवर्धन

क्रम सं.	पारेषण योजना का कार्य–क्षेत्र	क्षमता/किमी	कार्यान्वयन समय–सीमा
1.	संबद्ध ट्रांसफार्मर बे* के साथ 400/220 केवी, 1x500 एमवीए आईसीटी (तृतीय) द्वारा 400/220 केवी बीकानेर–II पीएस पर रूपांतरण क्षमता का संवर्धन *400 केवी (एआईएस) (संबद्ध टाई बे सहित) का 1 नंबर और 220 केवी (एआईएस) ट्रांसफार्मर बे का 1 नंबर	500 एमवीए, 400/220 केवी आईसीटी – 1 नंबर 400 केवी आईसीटी बे (संबद्ध टाई बे सहित) – 1 नंबर 220 केवी आईसीटी बे – 1 नंबर	सीटीयूआईएल, अर्थात् 7.12.2024 द्वारा ओएम के जारी किए जाने से 18 मास
		कुल अनुमानित लागतः	रु. 55.82 करोड़

सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 21.6.2023 और 22.8.2023 के अपने पत्रों द्वारा उपर्युक्त पैरा–1 में यथा उल्लिखित आरटीएम रूट के माध्यम से पारेषण लाइन के निष्पादन हेतु पावरग्रिड बीकानेर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड को पृथक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए संस्तुत किया है।

रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग ने याचिका सं. 181/टीएल/2023 में दिनांक 13.11.2023 के आदेश द्वारा उपर्युक्त पैरा 1 में यथोल्लिखित पारेषण प्रणाली की स्थापना हेतु आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति जारी किए जाने का प्रस्ताव किया है।

पावरग्रिड बीकानेर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड को अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंध एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रति को वेबसाइट **www.powergrid.in/subsidiaries.co.in** पर देखा जा सकता है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षित किया जा सकता है।

नोटिस, अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (5) के खंड (क) के अनुसरण में दिया गया है कि उक्त के अनुसार, आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आयोग के प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हो, को उक्त पते पर दिनांक **24.11.2023** तक अधोहस्ताक्षरी को भेज दिया जाए। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त हुए सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

आयोग द्वारा दिनांक **28.11.2023** को आवेदन पर आगे की सुनवाई की जाएगी। कोई व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दर्ज करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा।

हस्ता/–
(हरप्रीत सिंह प्रुथी)
सचिव